को पेश हो।

26-3-24

पत्रावली पेश हुई।
वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 40, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्राथमिक डिक्री के बहस पर विचाराधीन है। वादी अधिवक्ता ने उक्त वाद के सम्बन्ध में आदेशिका पर प्राथमिक डिक्री को स्वीकार करते हुए अन्तिम डिक्री व विभाजन नही चाहते है, का कथन किया है। राजस्व वाद को आगे नही चलाना चाहते है। राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 40, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज करने का निवेदन किया है।
लिहाजा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त राजस्व वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार ~~प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना का एक अवसर चाहते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।~~
होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्राथमिक डिक्री को स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री व विभाजन नहीं चाहते

26/3/24

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner